उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

पो0ऑ0–गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

website-www.ukpsc.gov.in

E-mail-ukpschdr@gmail.com

दूरभाषः 01334–244143 मो0न0–+91–7060002410

विज्ञापन संख्याः– A-1/E-1/(APO)/2016-17

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2016

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि –10 जून, 2016

ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि – 24 जून, 2016(समय रात्रि 11:59:59)

e-challan का प्रिंट–आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि– 27 जून, 2016 (समय रात्रि 11:59:59)

परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि– 29 जून, 2016 (बैंक समयावधि में)

परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि––29 जून, 2016(समय रात्रि 11:59:59)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1– अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

2– आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।

3– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन की **अन्तिम तिथि 24 जून, 2016** तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं धारित करना अनिवार्य है।

4– अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। ऑनलाइन आवेदन की प्रिन्टआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात प्राप्त किये जायेंगे।

5– फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

6– ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7– आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें।

8– प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं ई–चालान/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के माध्यम से ही परीक्षा–शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9– एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगें।

10– आवेदन करने की अंतिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र "Submit" बटन को "Click" करने पर ही "Online application" प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

11– अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि तक का इंतजार न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।

12– अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट–1, परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट–2, पाठ्यक्रम के लिये परिशिष्ट–3 तथा आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट–4 का अवलोकन करें।

13– प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन माह सितबर, 2016 में किया जाना प्रस्तावित है।

सहायक अभियोजन अधिकारी पदों पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा **सहायक अभियोजन अधिकारी–2016** के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तानुसार आयोग की वेबसाईट पर दिनांक **24 जून, 2016** तक ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर परिशिष्ट–1 में उल्लिखित नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जा सकता है। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्तता एवं आवश्यकता के आधार पर हल्द्वानी एवं हरिद्वार नगरों में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

2. कुल रिक्तियां–26 (जिसमें सामान्य श्रेणी–17, अनुसूचित जाति–04, अनुसूचित जनजाति–01 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु–04 रिक्तियां है)

नोटः– 1. क्षैतिज आरक्षण विद्यमान नियमों/शासनादेशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर अनुमन्य होगा। 2. राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।

3. पद का वेतनमान एवं स्वरूप :– वेतनमान–9300–34800 ग्रेड वेतन–4600/– राजपत्रित/अंशदायी पेंशन।

4. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता – सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हता– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(क) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' एवं 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

5. आयु :– आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2016 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी, 2016 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जनवरी 1995 के बाद तथा 02 जनवरी, 1974 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

6. अधिकतम आयु सीमा में छूटः उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

7. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम के अंतर्गत उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

8. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

9. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। कुछ निर्धारित प्रारूप इस विज्ञापन के **''परिशिष्ट–4'** में उल्लिखित हैं।

10. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया होः परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया होः परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी, अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेः परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र 01 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को 01 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रखने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

स्पष्टीकरण :– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है, और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

11. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति :– सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक या अधिक पत्नी जीवित हो:

13. शारीरिक स्वस्थता :– किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे चिकित्सा बोर्ड में उपस्थित होकर स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

14. आवेदन कैसे करें :– इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं–

आनलाईन आवेदन की तिथि	10 जून, 2016 से 24 जून, 2016 (समय रात्रि 11:59:59) तक।
e-challan का प्रिंट–आउट प्राप्त करने की तिथि	12 जून, 2016 से 27 जून, 2016 (समय रात्रि 11:59:59) तक।
परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा जमा करने की तिथि–	12 जून, 2016 से 29 जून, 2016 तक (बैंक समयावधि में)।
परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit card द्वारा जमा करने की तिथि	12 जून, 2016 से 29 जून, 2016 (समय रात्रि 11:59:59) तक।

15. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर जाएं।

(2) वेबसाइट पर "**Examination**" शीर्षक को Click करें एवं लिंक बटन **New User Sign Up** में प्रवेश करें।

(3) लिंक बटन "**New User Sign Up**" के अन्तर्गत अभ्यर्थी को लिंक बटन **New Registration** दिखाई देगा, जिसमें निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं से सम्बन्धित प्रविष्टियां भरें, एवं प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँचने के उपरान्त **Submit** करें।

(4) पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को उसके मोबाइल नम्बर/ईमेल पर User Id एवं Registration Number प्राप्त होगा।

(5) पंजीकृत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु "**Examination**" शीर्षक के अन्तर्गत लिंक बटन **Sign In** द्वारा प्रवेश करें एवं लिंक बटन **Click Here For Online Application Form** को खोले।

(6) ऑनलाइन आवेदन हेतु A.P.O. EXAMINATION–2016 के सम्मुख "**Click Here**" पर Click करें।

(7) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Reset** पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरे। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर Click करें।

(9) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (10 KB से कम न हो तथा 40 KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG Format (10 KB से कम न हो तथा 20 KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

(10) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Update** पर Click करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** Click करें।

(11) "**आप का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है**", का संदेश प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख ले।

(12) अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन पत्र भरने के 48 घण्टे अर्थात 02 दिन पश्चात ही अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी www.ukpsc.gov.in पर जायें और "Submit the fee after 48 hours of "filling the form" पर क्लिक करें।

(13) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा State Bank Of India (SBI) की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी Net Banking/Debit Card द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। Net Banking/Debit Card के माध्यम से जमा किये गये परीक्षा शुल्क पर सेवा शुल्क एवं सेवा कर (जैसे भी लागू हो) बैंक द्वारा अलग से चार्ज किये जायेंगे।

(14) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑन–लाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

16. शुल्क :– परीक्षा शुल्क निम्नवत है :–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01	सामान्य /अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	रू0 150/–
02	अनुसूचित जाति (एस0सी0)/अनुसूचित जनजाति(एस0टी0)/विकलांग/पूर्व सैनिक	रू0 60/–

उत्तराखण्ड महिला जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा**–अनारक्षित या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

आवेदन पत्र की प्रिन्ट आउट प्रति इत्यादि आयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑन लाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगें।

17. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 एवं प्रथम संशोधन 2016** और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 यथा संशोधित 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन) व 2015 (तृतीय संशोधन) आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलबध है।

(3) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(4) लिखित परीक्षा (मुख्य परीक्षा) एवं साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में निम्न निर्देशों का पालन करना होगा–

1. अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री लायें। अभ्यर्थी अपने साथ लायी गयी पुस्तक, नोट्स, कागज आदि परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबन्ध रहेगा फिर भी यदि सामान खो जाता है तो इसका दायित्व आयोग का नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो अभ्यर्थी को उस परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं तथा चयन (Selection) से वंचित (Disqualify) किया जा सकता है, चाहे उक्त सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।

2. अभ्यर्थी परीक्षा में नॉन प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पॉकेट कैलकुलेटर का प्रयोग इस प्रतिबन्ध के अधीन कर सकते हैं कि सम्बंधित प्रश्न के निर्देश/नोट में भी इसके प्रयोग की अनुमति का उल्लेख हो।

3. मुख्य उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखें। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखे जायें। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा '**अबस**' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा '**कखग**' लिखें। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता हैं।

4. परीक्षा भवन छोड़ने से पूर्व मुख्य उत्तर–पुस्तिका एवं अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ धागे से अवश्य बांधें।

5. प्रश्न–पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

6. प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक द्वारा जमा न कर ली जाय। परीक्षा समय समाप्ति के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करेगा।
7. अभ्यर्थी प्रश्न–पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न–पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न–पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।
8. अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) ''क्रास'' करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर–पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चैक किया जायेगा।
9. प्रश्न पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर–पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर–पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।
10. उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायगी–

(i) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
(ii) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।
(iii) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।
(iv) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।
(v) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।
(vi) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।
(vii) उत्तर पुस्तिका में अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।
(viii) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
(ix) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।
(x) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या **'अबस'** एवं पते के स्थान पर ABC या **'कखग'** के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
(xi) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(5) साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षणिक व आरक्षण सम्बन्धी दावों को मूल प्रमाण पत्रों से परीक्षण किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
(6) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां अभ्यर्थी द्वारा शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
(7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों में सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
(8) प्रारम्भिक परीक्षा में (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।
(9) गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–
(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(11) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है। लिखित मुख्य परीक्षा में नॉन–प्रोग्रामेबल सरल बैटरी चालित कैलकुलेटर का प्रयोग प्रश्न पत्र में दिये गये निर्देशों की शर्त के अधीन अनुमन्य है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परिक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।

(13) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(14) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(15) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(16) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(17) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(18) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(19) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(20) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(21) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 (यथासंशोधित 2016)** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(22) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः– अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक

दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(23) अँगूठे का निशान (Thumb Impression) :– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(24) परीक्षा भवन में आचरण :– परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(25) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्यक किया जाना चाहिए।

(26) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(27) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(28) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(29) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, ,या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट–रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों केा प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति

तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(30) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा–

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि।

(ख) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ **परिशिष्ट–4** में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए।

(ग) क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(31) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(32) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(33) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाईन शुल्क प्राप्त किया जायेगा तथा प्रारम्भिक परीक्षा में शैक्षिक अर्हता/अधिमानी अर्हता, आरक्षण संबंधी किये गये दावों की पुष्टि के संबंध में प्रमाण पत्र इत्यादि तथा ऑनलाईन जमा की गयी शुल्क की रसीद डाक/व्यक्तिगत माध्यम से आयोग को प्रेषित किये जायेंगे। मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी/ओ0बी0सी0/स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क रू0 200/– तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जन जाति, विकलांग व पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से रू0 80/– मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क प्राप्त किया जायेगा।

(34) मुख्य परीक्षा का आयोजन उपयुक्तता एवं आवश्यकता के आधार पर हल्द्वानी एवं हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों से परीक्षा हेतु नगर का विकल्प आवश्यकता होने पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।

(35) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश–पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(36) मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा।

(37) न्यूनतम अर्हक अंक उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2012 (प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014 एवं तृतीय संशोधन–2015) के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा–

(एस0एन0 पाण्डे)
सचिव।

परिशिष्ट–1

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2016

प्रारम्भिक परीक्षा निम्न नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें। नगरों की सूची इस प्रकार है–

क्रमांक	जिला	नगर	नगर कोड
1	नैनीताल	हल्द्वानी	01
2	देहरादून	देहरादून	02
4	हरिद्वार	हरिद्वार	03

नोटः– अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जायेगें। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट–2

परीक्षा योजना

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा– 2016

प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र0सं0	विषय	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	समय अवधि
1	सामान्य अध्ययन (General Studies)	100	100	1½ घंटा
2	विधि (Law)	100	100	1½ घंटा

नोटः– (1) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर आयोग प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा आयोजित कर सकता है।

(2) प्रारंभिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही मेरिट के आधार पर मुख्य (लिखित) परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(3) मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को अन्तिम योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़ा जायेगा।

1. **मुख्य परीक्षा :– (अ) लिखित परीक्षा**

प्रश्न –पत्र संख्या	विषय	अधिकतम् अंक	समय घण्टे	प्रश्नों की संख्या
I	सामान्य अध्ययन (General Studies)	100	3.00	10
II	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	100	3.00	14
III	Law-I (Criminal Law and Procedure with Police Act	100	3.00	10
IV	Law-II Evidence Act	100	3.00	10
	कुल अंक	400		

नोट– (1) सामान्य हिन्दी के प्रश्नपत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(2) मुख्य परीक्षा (लिखित) में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही मेरिट के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार के लिए आहूत किया जायेगा।

(3) मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर (सामान्य हिन्दी के प्रश्न–पत्र को छोड़कर) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है।

3. **साक्षात्कार** (Interview) **50 अंक।**

परिशिष्ट–3

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2016

पाठ्यक्रम

Syllabus for Preliminary Examination

There will be two papers in preliminary examination.

Paper-1 General Studies

Time – 1½ hrs **M.M 100**

Total number of questions 100 in General Knowledge (Objective Type)

The paper on General Knowledge will include the following topics, besides day to day happenings around India and the world. Candidates are expected to have general awareness about the following:

(a) General Science
(b) Current events: National and International
(c) History of India
(d) Indian National Movement and Indian Polity
(e) Geography and Indian Economy
(f) Art, Culture and Traditions of Uttarakhand
(g) Revenue Police System and general administrative set up in Uttarakhand
(h) Forest, Crops, Tribes, Mountains, Rivers of Uttarakhand.

Questions on General Science: Will cover elementary Knowledge & understanding of science including matters of everyday observation and experiences, basic laws of science, questions pertaining to environmental factors, natural resources, food crops, biosphere, human diseases, flora and fauna, national parks and wildlife of Uttarakhand will also be included.

Current events: Day to day happenings in India and around the world, which will also include significant events including sports.

History Of India: Emphasis should be on broad understanding of social, economic and political aspects of India.

Indian National Movement: The candidate should be aware of the Freedom Movement, Growth of Nationalism and attainment of Independence.

Indian Polity (Post Independence): Questions will test Knowledge of country's political system including Panchayati Raj and Community Development.

Geography and Indian Economy: Only general understanding of the subject will be expected.

Culture and Traditions of Uttarakhand: The candidate should be aware of the culture and traditions, especially of tribes of Uttarakhand.

Revenue Police and special administrative system of Uttarakhand:

Power and functions of Patwaries, Kanoongos and Naib Tahsildars etc. Panchayati Raj system, Van-Panchayat System. Candidates should be aware of types of forests, rotation of crops, cultural festivals, prominent holy places, glaciers and mountains, natural resources and calamities, rivers & lakes as well as prominent personalities of Uttarakhand.

Paper- II Law

Time – 1½ hrs **M.M 100**

No. of questions 100 (Objective Type)

It will cover the following with the number of questions indicated as under

Topics	No. of questions
1. The Indian Penal Code	35
2. The Indian Evidence Act	25
3. The Code of Criminal Procedure	25
4. The Uttarakhand Police Act, 2007	15

Total: 100

The Indian Penal Code, 1860:

i) General Exceptions
ii) Joint and Constructive Liability
iii) Abetment
iv) Criminal Conspiracy
v) Offences against Public Tranquility
vi) Offences against human body: Culpable homicide and murder including causing death by negligence; hurt and grievous hurt; wrongful restraint and wrongful confinement; criminal force and assault; kidnapping and abduction.
vii) Offence against women: sexual offences; offences relating to marriage, cruelty by husband or relatives of husband; insult to modesty of a woman and dowry death.
viii) Offences against property: Theft, Extortion, Dacoity, Robbery, Criminal Misappropriation, Cheating, Mischief and Criminal Trespass.
ix) Attempts to commit offences.

The Indian Evidence Act:

i) Relevancy of facts: Definitions, Relevancy of facts, Admission & Confession, Dying Declaration, Opinion of third persons when relevant.
ii) Facts which need not be proved: Oral and documentary evidence, Exclusion of oral by documentary evidence, Public documents and presumption as to documents.
iii) Production and effect of evidence: Burden of proof, Estoppel, Witnesses including their examination.

Criminal Procedure Code, 1973

Constitution, Powers and jurisdictions of Criminal Courts; Arrests, Power to compel appearance of persons and production of things; Maintenance of public order and public tranquility; Initiation and commencement of proceedings before Magistrate; Framing of charges; Trial of cases; Judgment; Evidence in enquiries and trials; Bail and Bonds; Reference, Revision and Appeal.

The Uttarakhand Police Act, 2007

i) Powers, functions and duties of various police officers under the aforesaid Police Act.
ii) Duties of Officer-In-Charge of police station regarding reports made at police stations; Investigation, Arrest, Bail and Custody and Execution of processes.
iii) Powers, functions and duties of Public Prosecutors and their sub-ordinates.

Syllabus for Main Examination

Paper- I General Knowledge

Times: 3 Hrs **M.M. 100 Marks**

The following topics will be included-

General Science- Will cover elementary knowledge & understanding of science including matters of everyday observation and experiences, basic laws of science, Conventional and non-conventional energy resources, human diseases: source and type of diseases, communicable & non communicable diseases prevention and control measures of born diseases such as AIDS, TB, Jaundice, Typhoid etc.

Natural Resources: Water, Soil Minerals, Flora, Fauna, Farming systems in Uttarakhand and other Natural and Energy resources of the State.

Environment: Global warming, Green house effect, Natural disasters, Pollution, Wildlife sanctuaries in Uttarakhand and Different environmental movements in the Uttarakhand state (such as Chipko, Nadi Bachao Andolan etc.)

Current Events: National and International, including sports.

History Of India & Indian National Movement: Indus valley civilization, Vedic Age, Ashoka, Harsh Vardhan, Delhi Sultanate, Mughal Period, Entry of European powers, Revolt of 1857, Establishment of Indian National congress, Non-co-operation Movement, Civil disobedience movement Quit India Movement, Indian Independence, Role of Uttarakhand in Freedom Struggle, Cultural History of Uttarakhand, Fairs, Festivals, Religious Practices, Holy places and shrines.

Geography: Rotation and revolution of the earth, mountains and rivers, Climate and vegetation zones of the world, relief and drainage systems, climate, vegetation and irrigation systems of India, including major irrigation projects.

India Polity (Post Independence)

- Integration of princely states, reorganization of states, regional aspirations and formation of new states (With special reference to Uttarakhand)
- Framing of the Constitution of India, aims and objectives, democracy, socialism, Secularism and National integration.
- **Main features of the constitution:** Organs of government and their functioning; governance at the centre, state and local levels (including tribal, panchayat patwari system and van panchayat); Centre-state relations; Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of state policy.
- **Functioning of Indian Democracy:** Universal Adult Franchise, Public Opinion, Elections, Political parties and Pressure groups (with reference to Uttarakhand).
- **Indian Economy:** Basic features of Indian economy, population, agriculture and allied activities, industry, Infrastructure, Financial sector, labor and employment, Economic planning and Economic reforms since 1991, W.T.O. Development of I.T., Ayurved, Tourism and Vipran in the Uttarakhand. New development schemes of the State

Computer

Basic Knowledge of computer and its application and cyber Crimes.

Paper-II General Hindi (सामान्य हिन्दी)

समयः– 3 घण्टे पूर्णांक–100

क्र.सं.	विषय	अंक विभाजन
1.	निबन्ध (लगभ 300 शब्दों में)	15
2.	अपठित गद्यांश–	
	(क) गद्यांश का भावार्थ	03
	(ख) रेखांकित वाक्य–बन्धों का आशय	05
	(ग) गद्यांश का सटीक शीर्षक	02
3.	संक्षेपण/सारांश (दिये गये अंश का सार)	05
4.	टिप्पण/प्रारूपण	05
5.	पर्यायवाची/विलोम	05

6.	समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द / विराम चिन्हों की शुद्धि	05
7.	हिन्दी से अंग्रेजी / अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद	10
8.	शब्द समूहों के लिए एक शब्द	05
9.	उपसर्ग / प्रत्यय	05
10.	अंग्रेजी की विधिक पारिभाषिक शब्दावली का हिन्दी रूपान्तरण	05
11.	अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना / अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना	05
12.	मुहावरे व लोकोक्तियों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग	05
13.	कार्यालयी पत्र लेखन : शासनादेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मरण, अधिसूचना, कार्यालय–ज्ञापन, पृष्ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति, ई–मेल द्वारा प्रपत्र प्रेषण।	10
14.	कम्प्यूटर का कार्यालयी प्रयोग	10

Paper III (Law-I)

Law-I (Criminal Law and Procedure with police Act)

Times: 3 Hrs **Max Marks : 100**

1. The syllabus of this paper shall be divided in three parts viz, Part 'A', 'B' and 'C' as demarcated below.

2. Ten questions in all shall be set, out of which the first question [Consisting of five sub-questions to be selected from the entire syllabus and requiring short answers] shall be compulsory. Each such short-answer type question shall carry 4 marks and will be answered in about 100 words.

3. Of the remaining nine questions, three questions from each part shall be set. The candidate shall be required to attempt at least one question from each part, namely Part 'A' 'B' and 'C'

4. All questions shall carry equal marks i.e. 20 Marks each. **In all five questions are to be attempted.**

Part- A

The Indian penal Code, 1860 :

i) General Exceptions

ii) Joint and Constructive Liability.

iii) Abetment.

iv) Criminal Conspiracy.

v) Offences against Public tranquility.

vi) Offences against human body: culpable homicide and murder including causing death by negligence; Hurt and grievous hurt; Wrongful restraint and Wrongful confinement; Criminal force and assault; Kidnapping and Abduction.

vii) Offence against Women: Sexual offences; Offences relating to marriage, Cruelty by husband or relatives of husband; insult to modesty of a woman and Dowry death.

viii) Offences against Property: Theft, Extortion, Dacoity, Robbery, Criminal misappropriation, cheating, Mischief and Criminal Trespass.

ix) Attempts to commit offences.

Part- B

Criminal Procedure code, 1973

Constitution, powers and jurisdictions of criminal courts; arrests, power to compel appearance of persons and production of things; Maintenance of public order and public tranquility; Initiation and commencement of proceeding before Magistrate; Framing of charges; Trial of cases; Judgment; Evidence in enquiries and trials; Bail and Bonds; Reference, Revision and Appeal.

Part- C

The Uttarakhand Police Act, 2007

i) Powers, functions and duties of various police officers under the Police Act.

ii) Duties of Officer-In-Charge of Police Station regarding reports made at police stations; Investigation, Arrest, Bail and Custody and Execution of processes.

iii) Powers, functions and duties of Public Prosecutors and their sub-ordinates.

Paper- IV (Law Paper-II) Evidence Act

Times: 3 Hrs **Max Marks : 100**

1. The syllabus of this paper shall be divided in three parts viz, Part 'A', 'B' and 'C' as demarcated below.
2. Ten questions in all shall be set, out of which the first question [Consisting of five sub-questions to be selected from the entire syllabus and requiring short answers] shall be compulsory. Each such short-answer type question shall carry 4 marks and will be answered in about 100 words.
3. Of the remaining nine questions, three questions from each part shall be set. The candidate shall be required to attempt at least one question from each part, namely Part 'A' 'B' and 'C'
4. All questions shall carry equal marks i.e. 20 Marks each. **In all five questions are to be attempted.**

Part 'A': **Relevancy of facts:** Definitions, Relevancy of facts, Admission & Confession, Dying Declaration, Opinion of third persons when relevant.

Part 'B': **Facts which need not be proved:** Oral and documentary evidence, Exclusion of oral by documentary evidence, Public documents and presumptions as to documents.

Part 'C': **Production and effect of Evidence:** Burden of proof, Estoppel, Witnesses including their examination.

परिशिष्ट–4

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील .....नगर .....जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .....नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील ..... नगर ..... जिला .....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता
प्रमाण पत्र संख्या – ..... तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

बोर्ड के अध्ययक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....
.....आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....
निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –
(i) बी – अंधता
(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना
(i) डी–बधिर
(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर (उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *
3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत ..... है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i)	एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ii)	पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है ।	हॉ/नहीं
(iii)	एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(iv)	के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हॉ/नहीं
(v)	बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vi)	एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vii)	एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं

(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं
(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं
(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं
(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

डा0.....)	(डा0.....)	(डा0.....)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित* जो (मुहर सहित)

लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....तहसील ..... नगर ..... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/विवाहित/अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम.....
पदनाम .....
मुहर .....